

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ खंडपीठ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2284/2026**

राधा देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री उपेन्द्र प्रकाश पाठकविपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता
-----**न्यायालय संख्या - 13****माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार**

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदिका द्वारा, पुलिस थाना- कोठी, जिला- बाराबंकी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 364/2025, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2), 352 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज है, के वाद में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 13.12.2025 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2), 352 के अंतर्गत मृतका की सास अर्थात् वर्तमान आवेदिका सहित तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सूचनाकर्ता की बहन का विवाह दो वर्ष पूर्व सह-अभियुक्त रंजीत अर्थात् आवेदिका के पुत्र के साथ हुआ था। पिछले दो महीनों से सभी अभियुक्तगण उसे प्रताड़ित कर रहे थे और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। दिनांक 13.12.2025 को दोपहर 1.00 बजे सूचनाकर्ता को अपने जीजा अर्थात् सह-अभियुक्त रंजीत का फोन आया, जिसने बताया कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी बहन फर्श पर पड़ी थी और उसके शरीर पर कई चोटें थीं। गुप्त रूप से कुछ ग्रामीणों ने उसे बताया था कि उसकी बहन की हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने उसे फांसी पर लटका दिया।

4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदिका और अन्य सह-अभियुक्तों को वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है और यह तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में दी गई कहानी से देखा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जा सकता है अर्थात् यह एक स्वीकृत वाद है कि विवाह दो वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था और अभिकथित मांग घटना से दो महीने पूर्व की गई थी।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की कहानी और सूचनाकर्ता का बयान शवपरीक्षण आख्या से इस कारण संपुष्ट नहीं होता है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट और बयान के अनुसार, मृतका के शरीर पर कई चोटें हैं, जबकि मृतका के शरीर पर एक भी चोट नहीं पाई गई और चिकित्सीय आख्या में मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी दर्शाया गया है।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध यह सामान्य आरोप है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिपोर्टेड इन (2012) 10 SCC 741, कहकशां कौसर @ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, रिपोर्टेड इन (2022) 6 SCC 599, और छबी कर्मकार और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, रिपोर्टेड इन 2025(1) SCC (Cri) 469 के वाद में यह निर्धारित किया है कि वैवाहिक विवाद में परिवार के सदस्यों के नामों का केवल सरसरी तौर पर संदर्भ, वाद में सक्रिय संलिप्तता के आरोप के बिना, उनके विरुद्ध संज्ञान लेने को न्यायोचित नहीं ठहराएगा, जिसमें पति के परिवार के सदस्यों को अति-संलिप्त करने की प्रवृत्ति को नजरअंदाज किया गया हो, इस आधार पर कि उनके विरुद्ध आरोप सामान्य और सर्वग्राही प्रकृति के हैं, कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदिका का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और मृतका की सास होने के कारण उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। वह दिनांक 15.12.2025 से जेल में निरुद्ध है।

8. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्राप्त निर्देशों के आधार पर तर्क दिया है कि आवेदिका के विरुद्ध दहेज की मांग का वाद है, परंतु वे आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गए तर्क का खंडन करने में असमर्थ हैं।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और वाद की पत्रावली का अनुशीलन करने के पश्चात, प्रथम दृष्टया, यह पाया गया है कि परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए आरोप अस्पष्ट, सामान्य और सर्वग्राही प्रकृति के हैं और सूचनाकर्ता द्वारा अभिकथित कई चोटों के संबंध में चाक्षुष साक्ष्य शवपरीक्षण आख्या अर्थात् चिकित्सीय आख्या से संपुष्ट नहीं होता है जिसमें शव पर कोई चोट नहीं पाई गई थी; यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दहेज की अभिकथित मांग विवाह के लगभग दो वर्ष बाद की थी, प्रथम दृष्टया, यह एक उपयुक्त वाद है जिसमें आवेदिका को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

10. तदनुसार, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. आवेदिका राधा देवी को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदिका विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगी।
- (ii) आवेदिका विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
- (iii) आवेदिका अभियोजन पक्ष के साक्षी(साक्षियों) पर दबाव नहीं बनाएगी/उन्हें डराएगी-धमकाएगी नहीं।
- (iv) आवेदिका कोई अपराध कारित नहीं करेगी।
- (v) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (vi) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vii) जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो आवेदिका साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगी।

(viii) आवेदिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी।

12. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. चूंकि यह आदेश आवेदिका को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

31 मार्च, 2026

एस. कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।